

**दिल्ली विकास प्राधिकरण  
रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स**

न0-एसपी/आरएससी/0001/2024/एफ 1 /-आरएससी/15

दिनांक : 07 जनवरी-2025

**कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या- 04/आरएससी/डीडीए/2024-25**

दिल्ली विकास प्राधिकरण (खेल विंग) के अध्यक्ष की ओर से रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निम्नलिखित कार्यों के लिए ऑनलाइन कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। कोटेशन को दो भागों में अपलोड किया जाएगा, अर्थात् 'भाग-I' जिसमें तकनीकी बोली होगी और 'भाग-II' जिसमें 'वित्तीय बोली' होगी। निर्धारित तरीके से अपलोड न की गई बोली का कोई हिसाब नहीं रखा जाएगा। निविदाकर्ता को जीएसटी विभाग में पंजीकृत होना चाहिए और निविदा के साथ पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। निविदाकर्ता को जीएसटी विभाग में पंजीकृत होना चाहिए तथा निविदा के साथ पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। बयाना राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से "सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए (ईएमडी खाता)" के खाते में जमा की जाएगी, जिसका खाता संख्या 1614159849 है, जो "कोटक महिंद्रा बैंक, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली, (आईएफएससी. केकेबीके0000184)" के साथ है।

**अब:- आरएससी में खेल/सांस्कृतिक गतिविधियों/कार्यक्रमों का आयोजन।**

**एसएच:- रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गणतंत्र दिवस-2025 का समारोह।**

अनुमानित लागत: रु. 56,350/-

बयाना राशि: रु. 2,000/-

**(मात्रा की अनुसूची संलग्न है)**

कोटेशन दस्तावेज ई-टेंडरिंग पोर्टल यानी **वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> या [www.dda.org.in](http://www.dda.org.in)** पर 15.01.2025 (11:00 AM) (बिक्री की अंतिम तिथि) तक प्राप्त/डाउनलोड किए जा सकते हैं और तकनीकी बोली 16.01.2025 (11.30 AM) को खोली जाएगी। कोटेशनकर्ता को निर्धारित तिथि तक ई-टेंडरिंग सिस्टम में RTGS/NEFT का विशिष्ट लेनदेन संदर्भ अपलोड करना होगा।

**तकनीकी बोली (प्रथम कवर )**

तकनीकी बोली में कोटेशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है:-

- आरटीजीएस/एनईएफटी (ईएमडी) के संदर्भ की स्कैन की गई प्रति।
- पैन नम्बर की स्कैन की गई प्रति।
- जीएसटी प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति।
- डीडीए के ठेकेदार पंजीकरण बोर्ड के पास जमा की गई अपेक्षित फीस के प्रमाण की स्कैन की गई प्रति।

## नियम एवं शर्तें :-

1. आपूर्ति/कार्य विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
2. उद्धृत दर में संबंधित राज्यों के अंतर्गत देय जीएसटी सहित सभी कर/शुल्क शामिल होने चाहिए, डीडीए इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
3. भुगतान सचिव, आरएससी की पूर्ण संतुष्टि के बाद किया जाएगा।
4. विभाग द्वारा कोई टी एंड पी जारी नहीं किया जाएगा।
5. एजेंसी को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
6. आयुक्त (खेल) को बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली/कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
7. यदि कार्य निर्धारित समय में पूरा नहीं किया जाता है तो आयुक्त (खेल) को संबंधित एजेंसी को कार्य से वंचित करने का अधिकार होगा, क्योंकि कार्य घटिया पाया गया है।
8. सशर्त उद्धरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
9. आवश्यक वैधानिक कटौती यथा लागू की जाएगी।
10. किसी भी नाबालिग को साइट पर काम पर नहीं रखा जाएगा।
11. विभाग द्वारा एजेंसी को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
12. कोटेशन की वैधता खुलने की तारीख से 60 दिन है।
13. प्रतिबंधित एजेंसी/या व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजेंसी प्रतिष्ठित होनी चाहिए और उसकी कोई छवि खराब नहीं होनी चाहिए।
14. किसी भी व्यक्ति को जिसे प्रतिबंधित किया गया है, उसे किसी भी बातचीत में भाग लेने या किसी एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है, भले ही उसके पास एजेंसी की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी हो। प्रतिबंधित व्यक्तियों को नियुक्त करने वाली कोई भी एजेंसी भी प्रतिबंधित होने के लिए उत्तरदायी है।
15. अनुसूची में वस्तुओं की मात्रा अस्थायी है जो साइट की स्थिति के आधार पर बदल सकती है।
16. यदि कार्य आदेश में उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर पूरा कार्य पूरा नहीं किया जाता है, तो सचिव/आरएससी का यह पूर्ण विवेक होगा कि वह आइटम के कार्य को उन शर्तों पर स्वीकार करे, जिन्हें सचिव उचित और उचित समझे या आपूर्ति/कार्य आदेश को रद्द कर दे/कार्य के विरुद्ध कोई भी भुगतान रोक दे/बयान राशि जब्त कर ले या संबंधित एजेंसी को प्रतिबंधित कर दे। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी फोरम के समक्ष इस पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।
17. कार्य निष्पादन के दौरान ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। यदि साइट/आस-पास कोई नुकसान/चोरी/क्षति होती है, तो उसे उद्धृत दरों के अनुसार पूरा किया जाएगा या एजेंसी से वसूला जाएगा/एजेंसी के जोखिम और लागत पर पूरा किया जाएगा।
18. यदि कोई एजेंसी पहली बार दोषपूर्ण या अपूर्ण निविदा प्रस्तुत करती है, तो इस प्रकार जमा की गई बयाना राशि का 20% जब्त कर लिया जाएगा। हालाँकि, यदि एजेंसी बाद की निविदाओं में फिर से गलती करती है या अपूर्ण निविदा प्रस्तुत करती है और सक्षम प्राधिकारी पाता है कि चूक जानबूझकर, लापरवाही से या दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई है, तो बयाना राशि बिना कोई कारण बताए पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी और निविदाकर्ता को भविष्य की निविदाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
19. यदि बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दरें समान हैं, तो निर्णय पर पहुंचने के लिए, परिसर के सचिव, आरई और परिसर के डीडीओ वाली समिति द्वारा लॉटरी निकाली जाएगी।
20. डीडीए के सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों की वास्तविक समय की प्रतिक्रिया के आधार पर जब भी सेवा में कमी देखी जाएगी, तो उसे सुधार के लिए एजेंसी/ठेकेदार को सूचित किया जाएगा। यदि सूचना के समय से निर्धारित अवधि के भीतर कोई सुधार/सुधार नहीं होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आनुपातिक कटौती एजेंसी/ठेकेदार से की जाएगी।
21. आपूर्ति/कार्य कार्य सौंपे जाने की तिथि से 03 दिनों के भीतर या 26 जनवरी 2025 से पहले पूरा किया जाएगा।

एसडी /-  
आरई (सिविल) /आरएससी

**कॉपी में:-**

1. आयुक्त (खेल), डीडीए- कृपया जानकारी के लिए।
2. निदेशक (सिस्टम) / डीडीए को ई -मेल ddatender@dda.org.in के माध्यम से भेजें।
3. सीनियर एओ (खेल), डीडीए।
4. डीडीए खेल परिसरों के सभी सचिव।
5. डीडीए ठेकेदार एसोसिएशन ई-18 विकास कुटीर , नई दिल्ली।
6. डीडीए कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन, कमरा नंबर 12, बैरक नंबर 1, ब्लॉक- ए , विकास कुटीर, नई दिल्ली।
7. दिल्ली कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन (सी), 306, मस्जिद मोठ, एनडीएसई, भाग-II, नई दिल्ली।
8. एएओ/आरएससी .
9. सूचना पट्ट।

एसडी /-  
आरई (सिविल) /आरएससी

## मात्रा की अनुसूची

अब:- आरएससी में खेल/सांस्कृतिक गतिविधियों/कार्यक्रमों का आयोजन।

एसएच:- रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गणतंत्र दिवस-2025 का समारोह।

| क्र. सं.                         | वस्तुओं का विवरण  | मात्रा | इकाई     | दर | मात्रा |
|----------------------------------|---|--------|----------|----|--------|
| 1.                               | <b>नियुक्ति:-</b><br>a) 30 फीट x 45 फीट आकार का कालीन<br>b) सोफा 2 सीटर-02 नग<br>c) सेंटर टेबल - 02 नग<br>d) मंच के लिए 6 सफ़ेद पर्दे | 1      | काम      |    |        |
| 2.                               | <b>पैकड रिफ्रेशमेंट बॉक्स में शामिल हैं-</b><br>a) सैंडविच-01<br>b) ब्रिटानिया केक-01<br>c) जूस-01<br>d) नमकीन-01<br>e) बिस्किट-01    | 350    | प्रत्येक |    |        |
| 3.                               | <b>बैनर (आकार 12 फीट x 18 फीट)</b>  | 1      | संख्या   |    |        |
| 4.                               | <b>पुरस्कार के लिए पदक (प्रतियोगिता में प्रथम / द्वितीय एवं तृतीय विजेता के लिए)</b>  | 45     | संख्या   |    |        |
| 5.                               | <b>सजावट (झंडे, गुब्बारे, मालाएं आदि)</b>   | 1      | काम      |    |        |
| <b>कुल (रु. में) जीएसटी सहित</b> |   |        |          |    |        |

एसडी /-  
आरई (सिविल) /आरएससी